राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.6( )आ.कृ./रसायन/जिप्सम/दिशा निर्देश/2017–18/3318-542दिनांक 22-5-17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
2. परियोजना निदेशक, कृषि (वि0), सीएडी, कोटा।
3. उप निदेशक कृषि (वि0), आईजीएनपी, बीकानेर।

विषयः– वर्ष 2017–18 में जिप्सम वितरण के दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि राज्य के किसानों को वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय प्रवृर्तित योजनाओं यथा आरकेवीवाई के तहत् क्षारीय भूमि सुधार कार्यक्रम, एनएमओओपी में तिलहनी फसलों एवं एनएफएसएम– दलहन/ गेंहूँ के अन्तर्गत दलहनी एवं गेंहूँ फसलों में जिप्सम उपलब्ध कराया जाना है। जिप्सम वितरण के दिशा निर्देश, योजनावार, जिलेवार लक्ष्य एवं जिलेवार दरें संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। योजनावार जिप्सम वितरण के लक्ष्यों को सहायक निदेशक कृषि (वि0) वार, पंचायत समिति वार आवंटन कर सूचना आयुक्तालय को दिनांक 25.05.17 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद/ जिला विस्तार अधिकारी को जिप्सम परिवहन एंव वितरण करने वाली संस्थाओं यथा राजफैड़/ आईपीएल को जिप्सम की मांग मय रूट चार्ट उनके ई–मेंल/ फैक्स पर एवं उसकी प्रतिलिपी सम्बन्धित केवीएसएस/जीएसएस/ डीलर को देते हुये संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन) की ई–मेल jdagr_chem@rediffmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।

क.सं	नाम संस्था	ई–मेल	फैक्स नं.
1	राजफैड	rajfed_agri.input@yahoo.com	0141–2740457
2	आईपीएल	ipljai@potindia.com govind@potimdia.com	0141–2721348

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः–प.6( )आ.कृ./रसायन/जिप्सम/दिशा निर्देश/2017–18/3318-542 दिनांक 22-5-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, समस्त।
4. प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएमएल, 4–मीरामार्ग, उदयपुर।
5. शासन सचिव एवं आयुक्त, उद्यान, पंत कृषि भवन, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, समस्त।
7. प्रबन्ध निदेशक, आरएसएससी, पंत कृषि भवन, तृतीय मंजिल, जयपुर।
8. अति0 निदे0 कृषि (अनु0/वि0/ आदान/एनएमओओपी/समन्वयक) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
10. उप सचिव, किसान आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन/वि./योजना/एटीसी/ज.उ.प्र./पौ.सं./आदान/गु.नि./सां./एनएमओओपी/प्रबोधन एंव मूल्यांकन एवं एरिया ऑफिसर, समस्त) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक कृषि (वि0), खण्ड समस्त।
13. परियोजना निदेशक, कृषि सीएडी, कोटा।
14. ग्रुप जनरल मैनेजर, आर.एस.एम.एम.एल., प्लांट नं. 2 गॉधीनगर स्कीम, बीकानेर।
15. महाप्रबंधक, राजफैड, 4–भवानी सिंह रोड, जयपुर।
16. क्षेत्रीय प्रबंधक, आई.पी.एल., 410, गौरव टॉवर, मालवीय नगर, जयपुर।
17. क्षैत्रीय प्रबन्धक, नेशनल सीडस कॉर्पोरेशन लि0,सरदार पटेल मार्ग,चौमू हाउस सी स्कीम,जयपुर ।
18. उप निदेशक कृषि (प्रशासन/योजना/वि./सूचना बीज/सांख्यिकी), कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
19. उप निदेशक कृषि (रसायन), राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।
20. ए.सी.पी., कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
21. उप निदेशक कृषि (वि0), जिला परिषद – समस्त।
22. उप निदेशक कृषि (वि0), आईजीएनपी, बीकानेर।
23. पी.आर.ओ., कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
24. सहायक निदेशक कृषि (वि0), – समस्त।
25. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी–बूंदी, सुल्तानपुर, कोटा।
26. कृषि अनु. अधि., मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, डूंगरपुर, बांसवाडा, झालावाड, कोटा, जोधपुर, अलवर।
27. प्रभारी अधिकारी, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, द्वारा कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि0), जि.प., नागौर, सीकर, प्रतापगढ़, अजमेर, बाडमेर, जालौर, करौली, पाली, टोंक, चूरू, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, बारां, उदयपुर, झुन्झुनू, बूंदी, चितौडगढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद, सिरोही।
28. प्रभारी अधिकारी,किसान कॉल सेन्टर लेवल–1,कटेवा भवन,गणपति प्लाजा, एम.आई.रोड, जयपुर।
29. प्रभारी अधिकारी, किसान कॉल सेन्टर लेवल–2,कमरा नं. 111, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।

22/5/17

(अजय पचौरी)
संयुक्त निदेशक कृषि (रसायन)

वर्ष 2017–18 हेतु जिप्सम आपूर्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये जिप्सम का उपयोग लाभदायक है। पोषक तत्व के रूप में इसके उपयोग से तिलहन, दलहन, गेंहूँ फसलों में उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्वि होती है। जिप्सम में सामान्यतया 16–19 प्रतिशत कैल्शियम एवं 13–16 प्रतिशत सल्फर होता है।

वर्ष 2017–18 हेतु **क्षारीय भूमि सुधार कार्यक्रम– National Mission for Sustainable Agriculture-RAD(NMSA-RAD) & Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)** के तहत तथा पोषक तत्व के रूप में **National Mission on Oil Seed and Oil Palm (NMOOP)** के अन्तर्गत तिलहनी फसलों एवं **National Food Security Mission- Pulses & Wheat (NFSM- Pulses & Wheat)** कार्यक्रम के अन्तर्गत दलहनी व गेंहू की फसलों में उपयोग हेतु जिप्सम का वितरण किया जायेगा।

राज्य के समस्त किसानों को जिप्सम भारत सरकार की समस्त योजनाओं यथा क्षारीय भूमि सुधार हेतु **NMSA-RAD** *एवं* **RKVY** तथा तिलहनी फसलों में **NMOOP** एंव दलहनी व गेंहूँ फसलों में **NFSM-Pulses & Wheat** के अन्तर्गत जिलेवार निर्धारित कुल दर का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

1. क्षारीय भूमि सुधार प्रकिया के आवश्यक बिन्दू :–

1. भूमि सुधार कार्य हेतु जिलों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा पंचायत समितियों के भू–उर्वरकता सर्वेक्षण में दर्शाये गये समस्याग्रस्त गांवों एवं सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के तहत् विश्लेषित नमूनों में आये समस्याग्रस्त गावों में से सुधार हेतु गांवों का चयन कर ग्रामवार कृषक प्रशिक्षण शिविरों के दौरान मृदा जांच, जिप्सम व ढेंचा उपयोग, जिप्सम की मांग, उपलब्धता की पूर्ण जानकारी भी कृषकों को देते हुए भूमि सुधार हेतु प्रेरित करेंगे।
2. इन चयनित गांवों में अभियान के रूप में कृषि भूमि पर सुधार कार्यो का संचालन कराया जाए। प्रत्येक समस्याग्रस्त गांव में कम से कम 10 हैक्टर क्षेत्र में सुधार करायें जाने के प्रयास करें इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी भूमि सुधार कार्यो का संचालन कराया जायें।
3. भूमि सुधार हेतु कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच, योजनाबद्ध तरीके से माह मई के अंत तक पूर्ण करायें।
4. मिट्टी की जांच, सिफारिश अनुसार कृषकों को जिप्सम उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावें, ऐसे क्षेत्रों में पूर्व से ही जिप्सम के अग्रिम भण्डारण की व्यवस्था रखें।
5. सर्वप्रथम खेत के चारों ओर मेड़ बन्दी करें ।
6. वर्षा पूर्व खेत की गहरी जुताई कर, खेत का यथा सम्भव समतल करें, ताकि वर्षा का पानी खेत में समान रूप से भर जायें।
7. मानसून शुरू होने से काफी समय पहले जिप्सम की आवश्यक मात्रा (जी0आर0वैल्यू) के अनुसार मिट्टी की ऊपरी 10 सेमी की सतह में मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें।
8. जिप्सम मिलाने के बाद खेत को छोटी क्यारियों या ढ़ाल के अनुसार, या सुविधानुसार खंडों में बांट दें।क्यारियों की मेड 10–15 सेमी ऊंची रखे जिससे पानी का भराव हो सकें।
9. खेत में वर्षा का पानी कम से कम 7–10 दिनों तक भरा रहने दें। यदि पानी अपने आप खेत से पानी रिस जाये अन्यथा बचे हुये पानी को निकास द्वारा निकाल दें।
10 मानसून के अलावा यदि अच्छी गुणवता का जल उपलब्ध हो तो वह भी निक्षालन के लिये काम में लिया जा सकता है।
11. जिप्सम उपयोग के पश्चात्, हरी खाद के लिये ढेंचा की बुवाई करावें। ढैंचा बीज 60 किलो प्रति हेक्टर की दर से छिंटकवां विधि द्वारा बुवाई करावें ।बुवाई के 40–45 दिन बाद या फसल में फूल आने से पूर्व ढेंचा को मिट्टी में पलट देवें। ध्यान रहे ढेंचा पलटते समय भूमि में पर्याप्त नमी रहें। भूमि सुधार को प्रभावी बनाने के लिये ढेंचा अत्यन्त उपयोगी है क्योकि यह जिप्सम की धुलनशीलता बढ़ाने के साथ भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सुधार करता है।
12. रबी में गेहूँ, जौ, सरसों की लवण/क्षार रोधी किस्मों की बुवाई करें।